



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]
No. 411]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 11, 1995/अश्विन 19, 1917
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 1995/ASVINA 19, 1917

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1995

सा. क्र. नि. 681/अ०—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 § 1992 का 35 § की धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

§ 1 § इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल § संशोधन § नियम, 1995 है ।

§ 2 § ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल नियम, 1994 के नियम, 27 में, उप-नियम § 1 § और उसके परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

§ 1 § केन्द्रीय सरकार किसी मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बल के किसी आफिसर को सेवा-निवृत्ति की आयु पूरी करने के पूर्व या उतने वर्षों की सेवा करने से पूर्व जो सेवा-निवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए उन नियमों के अधीन आवश्यक हो, पद त्याग करने की अनुज्ञा दे सकेगी;

परन्तु ऐसी अनुज्ञा देने से पूर्व केन्द्रीय सरकार उस आफिसर से तीन मास के वेतन और भत्ते या उस आफिसर को दिए गए प्रशिक्षण की लागत का, इनमें से जो भी अधिक हो, प्रतिदाय करने की अपेक्षा कर सकेगी ।

[संख्या : 1-45011/8/94 § अधि० §
अनुराग गोयल, संयुक्त सचिव]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 1995

G.S.R. 681(E).—In exercise of the powers conferred by section 156 of Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992) the Central Government hereby makes the following amendments in the Indo-Tibetan Border Police Force Rules, 1994, namely :—

- (1) These Rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force (Amendment) Rules, 1995.
- (2) They will come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force Rules, 1994 in Rule 27, for sub-rule (1) and the proviso the following shall be substituted, namely :—

- (1) "The Central Government may, having regard to the special circumstances of any case, permit any officer of the Force to resign from the Force before the attainment of the age of retirement or before putting in such number of years of service as may be prescribed by the Government.

Provided that while granting such permission the Central Government may require the officer to refund to the Government 3 months pay and allowances or the cost of training given to that officer whichever is more."

[No. I-45011/8/94(Legal) ITBPF]
ANURAG GOEL, Jt. Secy.